"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 127] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 अप्रैल 2010—वैशाख 2, शक 1932

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 07-18/गृह-दो/जन./2010.—जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 37) की धारा 6 की उपधारा (1) तथा धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा प्रत्येक जिले के जिला मजिस्ट्रेट तथा अधिक्रमण किए गए नगरपालिक नियमों के प्रशासकों तथा निर्वाचित किए गए नगरपालिक निगमों के आयुक्तों को उक्त अधिनियम की धारा 6 (1) (क) से (च) तथा 7 (क), (ख), (ग) के उपबंधों के अनुसार कार्य करने के लिए नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 07-18/गृह-दो/जन./2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 07-18/गृह-दो/जन./2010, दिनांक 22-04-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, सचिव.

Raipur, the 22nd April 2010

NOTIFICATION

No. 7-18/H-2/Cen./2010.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 and Section 7 of the Census Act, 1948 (No. 37 of 1948), the State Government hereby appoints the District Magistrate of each district and Administrators of superseded Municipal Corporations and Commissioners of elected Municipal Corporations to act as per the provisions of Section 6 (1) (a) to (f) and 7 (a), (b), (c) of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DURGESH CHANDRA MISHRA, Secretary.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 07-18/गृह-दो/जन./2010.—जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 के उपनियम (एक-क) के उपखण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि समस्त व्यक्ति, भारत की जनगणना 2011 के संबंध में मकान के सूचीकरण कार्य/गणना कार्य के दौरान उनसे पूछे गये प्रश्नों के बारे में यथार्थ एवं स्पष्ट जानकारी देने में सहयोग प्रदान करें.

2. ऐसा कोई व्यक्ति, जो जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 8, 9 तथा 10 के अधीन उस पर सौंपे गये दायित्वों तथा कर्त्तव्यों का पालन नहीं करता है और/या यथार्थ एवं स्पष्ट जानकारी देने में सहयोग प्रदान नहीं करता है, जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11 के अधीन दंडनीय होगा, अधिनियम की धारा 11 निम्नानुसार पठित है :—

11. **शास्तियां :—**

(1) (क) कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिए विधि पूर्वक अपेक्षित कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम द्वारा उस पर आरोपित किसी कर्त्तव्य का पालन करने से इंकार करेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्त्तव्य का पालन करने में किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिबाधित या बाधित करेगा; या

(क-क) कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिए विधि पूर्वक अपेक्षित कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अनुसार उस पर आरोपित किसी कर्त्तव्य का पालन करने या उसे जारी किये गये किसी आदेश का पालन करने में युक्तियुक्त तत्परता बरतने में उपेक्षा करेगा या कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी ऐसे कर्त्तव्य का पालन करने में या किसी ऐसे आदेश का पालन करने में किसी अन्य व्यक्ति को, प्रतिबाधित या बाधित करेगा; या

(ख) कोई ऐसा जनगणना अधिकारी जो साशय कोई संतापकारी या अनुचित प्रश्न करेगा या जानते हुए कोई मिथ्या विवरणी तैयार करेगा या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, कोई ऐसी जानकारी प्रकट करेगा जो उसने जनगणना विवरणी या उसके प्रयोजनों के लिए प्राप्त की है; या

(ग) कोई ऐसा सार्टर, संकलक या जनगणना कर्मचारीवृन्द या अन्य सदस्य, जो किसी जनगणना दस्तावेज या अपसारण करेगा, उसे छिपायेगा, उसको नुकसान पहुंचायेगा या उसे नष्ट करेगा अथवा किसी जनगणना दस्तावेज को इस प्रकार व्यवहार में लायेगा जिससे जनगणना परिणामों के सारणीयन का मिथ्याकरण या ह्रास होना संभाव्य हो; या

(ग-क) कोई ऐसा प्राधिकारी जो धारा 4-क के अधीन किये गये आदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा; या

(घ) कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना अधिकारी द्वारा उससे पूछे गये किसी ऐसे प्रश्न का, जिसका उत्तर देने के लिए वह धारा 8 द्वारा वैध रूप से आबद्ध है, साशय मिथ्या उत्तर देगा या अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार उत्तर देने से इंकार करेगा; या

(ङ) किसी गृह, अहाते, जलयान या अन्य स्थान का अभिभोग करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना अधिकारी को उसे ऐसा युक्तियुक्त प्रवेश करने देने से इंकार करेगा जैसा कि वह धारा 9 द्वारा अनुज्ञा देने के लिए अपेक्षित है; या

(च) कोई ऐसा व्यक्ति, जो किन्हीं ऐसे अक्षरों, चिन्हों या संख्यांकों को, जिन्हें जनगणना के प्रयोजनों के लिए अंकित किया या लगाया गया है, हटायेगा, मिटायेगा, परिवर्तित करेगा या उन्हें नुकसान पहुंचायेगा; या

(छ) कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे धारा 10 के अधीन अनुसूची भरने की अपेक्षा की गई हो, जानते हुए अथवा बिना पर्याप्त कारणों के उस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा या उसके अधीन कोई मिथ्या विवरणी देगा; या

(ज) कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना कार्यालय में अतिचार करेगा, जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और भाग (क), (ख) या (ग) के अधीन दोष सिद्धी की दशा में, कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा.

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 07-18/गृह-दो/जन./2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 07-18/गृह-दो/जन./2010, दिनांक 22-04-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, सचिव.

Raipur, the 22nd April 2010

NOTIFICATION

No. 7-18/H-2/Cen./2010.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (ia) of Rule 8 of the Census Rules, 1990, the State Government hereby direct all persons to co-operate in furnishing accurate unambiguous information in respect of questions that may be put up to them during the course of house-listing operation enumeration in respect of Census of India, 2011.

2. Any person who does not co-operate in furnishing accurate and unambiguous information and orders or does not abide by the responsibilities and duties which have been cast upon him under sections 8, 9 and 10 of the Census Act, 1948, shall be punishable under Section 11 of Census Act, 1948. The Section 11 of the Act reads as under :—

11. **Penalties :—**

(1) (a) Any census officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of census who refuses to perform any duty imposed upon him by this. Act or any rule made thereunder, or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty ; or

(aa) Any census officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of a census who neglects to use reasonable diligence in performing any duty imposed upon him or in obeying any order issued to him in accordance with this Act or any rule made thereunder, or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty or obeying any such order; or

(b) Any census officer who intentionally put any offensive or improper question or knowingly makes any false return or without the previous sanction of the Central Government or the state Government. discloses any information which he has received by means of, or for the purposes, of a census return; or

(c) Any sorter, compiler or other member of the census staff who removes, secretes, damages or destroys any census document or deals with any census document in a manner likely to falsify or impair the tabulations of census results ; or

(c-a) Any local authority which fails to comply with an order made under Section 4 A; or

(d) Any person who intentionally gives a false answer to, or refuses to answer to the best of his knowledge or belief, any question asked of him by a census officer which he legally bound by Section 8 to answer ; or

(e) Any person occupying any house, enclosure, vessel or other place who refuses to allow a census officer such reasonable acces thereto as he is required by Section 9 to allow; or

(f) Any person who removes, obliterates, alter, or damages any letters, marks or numbers which have been painted of affixed for the purposes of the census ; or

(g) Any person who, having been required under Section 10 to fill up a Schedule, knowingly and without sufficient cause fails to comply. With the provisions of the Section, or makes any false return thereunder ; or

(h) Any person who trespasses into a census office, shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees and in case of a conviction under part (a), (b) or (c) shall also be punishable with imprisonment which may extend to three years.

(2) Whoever abets any offence under sub-section (1) shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DURGESH CHANDRA MISHRA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—201).